कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म० प्र०)

क्रमांक .....972......./2020 झाबुआ, दिनांक 31/10/2020

नीलाम विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय झाबुआ के आधिपत्य का शासकीय वाहन महिन्द्रा झायलो कमांक एम.पी. 02-ए.वी.-2979 मॉडल वर्ष 2010 निष्प्रयोजित राशि रूपये 90,000.00 (अक्षरी रूपये नब्बे हजार मात्र) को (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलामी दिनांक - 03.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से देय राशि रूपये 5,000/-(पांच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www. mphighcourt.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

उक्त शासकीय वाहन महिन्द्रा झायलो की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार है :-

-::निविदा की शर्तें::-

1- शासकीय वाहन महिन्द्रा झायलो कमांक एम.पी. 02-ए.वी.-2979 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य राशि रूपये 90,000.00 (अक्षरी रूपये नब्बे हजार मात्र) (शासकीय बोली) नियत है।

2- उपरोक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन महिन्द्रा झायलो की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 5,000/-(पांच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3- अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4- सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ को प्राप्त होगा।

5- नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6- अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

7- अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 7 (सात) दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि ऑनलाईन अथवा नजारत अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के माध्यम से जमा कराकर, वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8- संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर झाबुआ से संपर्क करें ।

9- बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10- अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय झाबुआ से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11- अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

12- वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

13- उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन निलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

31.10.2020

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
वास्ते-कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म.प्र.)